।। कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत दक्षिण शहर अलवर।।

क्रमांक :– 4461 दिनांक :– 20-11-18

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला अलवर

विषय :–जांच रिपोर्ट सम्पर्क परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के क्रम में। सम्पर्क पोर्टल नं0

प्रसंग :–श्रीमानजी के कार्यालय सम्पर्क परिवाद क्रमांक 10180674598724 दिनांक 25.10.2018 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगिक सम्पर्क परिवाद विषयान्तर्गत निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार कि दिनांक 16.09.2018 को राजस्थान पत्रिका जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक ''विधायक आहुजा ने प्राचार्य को दी निलंबित करने की धमकी'' की जांच थानाधिकारी थाना रामगढ से कराई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तो थानाधिकरी की रिपोर्ट से पाया गया कि राजकीय स्नाताकोत्तर महाविधालय गोविन्दगढ जिला अलवर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। कार्य अधूरा होने के कारण कालेज प्रशासन ने भवन को हेण्डऑवर नहीं लिया था। जबकि भवन निर्माण ठेकेदार तथा पीडब्ल्यूडी के एईएन तथा स्थानीय लोग एवं क्षेत्रीय विधायक श्री ज्ञानदेव आहुजा उसका उद्घाटन करना चाहते थे। लेकिन कॉलेज प्रिन्सीपल श्री चरणसिंह ने मना कर दिया कि काम अधूरा है। इसलिए हमने नये भवन को हैण्डऑवर नहीं लिया है तो वे बोले कि चुनाव आने वाले है किया हुआ काम जनता को बताना है। प्रिन्सीपल की असहमति के बावजूद 15 सितम्बर 2018 उद्घाटन की तारीख निश्चित कर दी गई। जिसके कोई कार्ड या निमत्रंण पत्र आदि भी नहीं छपवाये गये। कॉलेज में स्टॉफ कम होने के कारण कॉलेज के छात्र छात्राएं भी एमएलए साहब से नाराज थे। इसलिए उद्घाटन के दिन छात्र छात्राए कॉलेज के गेट पर बैठ गये तथा एमएलए और उसके साथ आये लोगों को गेट पर रोक दिया। समझाईस से छात्र छात्राए हट गई और एमएलए साहब लोगों के साथ कालेज में चले गये और नये भवन का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन समारोह में कॉलेज की छात्र छात्राए एवं स्टॉफ का कोई भी सदस्य नहीं गया। इसलिए एमएलए साहब नाराज हो गये और प्रिन्सीपल के कार्यालय में गये और प्रिन्सीपल का परिचय पूछा और रिटायरमेन्ट के बारे में पूछा तो प्रिन्सीपल ने बताया कि 8–10 महिने बचे है। एमएलए साहब प्रिन्सीपल से बोले की आप मेरे स्वागत के लिए कॉलेज गेट पर क्यों नहीं आये। मैं आपको सस्पेन्ड करा दूंगा और पेन्शन भी रूकवा दूंगा। इसके बाद एमएलए साहब वहां से चले गये। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रिन्सीपल श्री चरण सिह द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या परिवाद थाना हाजा पर पेश नहीं किया है तथा जांच के दौरान वार्ता पर प्रिन्सीपल श्री चरण सिह को एमएलए द्वारा दी गई निलम्बित की धमकी पर कानूनी कार्यवाही हेतु कहीं भी कोई परिवाद देना नहीं बताया तथा उक्त परिवाद के परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी जयपुर द्वारा अखबार कटिंग के आधार पर लगाया गया। जिनसे जरिये फोन वार्ता की गई तो बताया कि उन्होने अखबार में छपी खबर के आधार पर यह परिवाद लगाया गया है।

अतः जांच रिपोर्ट मुताबिक जांच थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ के श्रीमान की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

पुलिस उप अधीक्षक
वृत दक्षिण शहर अलवर

पुलिस उप अधीक्षक
वृत दक्षिण (शहर) अलवर
राज0

Scanned by CamScanner